Govt. College of Teacher Education
Samastipur

(Run and Managed by Deptt. of Education, Govt. of Bihar)

(Affiliated to L.N.M.U., Darbhanga & Recognized by ERC NCTE Bhubaneswar)

बिहार सरकार

Estd.-1962

Near Azad Chowk, Amirganj, Dharampur, Samastipur - 848101

Dr. Shazia Fatma
Principal-in-Charge

E-mail : gttcsamastipur@gmail.com Website : www.gttcsamastipur.in

चालक एवं ईंधन सहित वाहन भाड़ा का दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

निविदा संख्या :– 01/2026–27

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर के अन्तर्गत प्राचार्य एवं संस्थान के अन्यान्य कार्य हेतु भाड़ा निर्धारण हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थानों से दिनांक 10.06.2026 को 02:00 बजे अपराह्न तक सीलबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत किया जाना है। जिसे निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि को 3:00 बजे अपराह्न में प्राचार्य महोदया के कक्ष में संस्थान के क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

निविदा की समान्य शर्तें :–

1. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद होना चाहिए। पुनः दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में सील बंद होना चाहिए।
2. वाहन का प्रकार स्कॉर्पियो/बोलेरो या इसके समकक्ष होना चाहिए।
3. वाहन, चालक सहित होगा तथा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए।
4. वाहन का बीमा एवं पथकर अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन का वाणिज्यक निबंधन होना आवश्यक है। कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
6. वाहन की चोरी/दुर्घटना या अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी संबंधित संवेदक की होगी।
7. वाहन का रख–रखाव, साफ–सफाई, तौलिया, एवं अन्य मेन्टेनेंस संबंधित संवेदक की होगी।
8. अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10 दिनांक–30.04.2024 के अनुसार वाहन का मासिक भुगतान ईंधन सहित 1000 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम 35,000/– (पैंतीस हजार) रुपये किया जायेगा एवं इससे अधिक उपयोग होने पर 10 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से राशि का भुगतान किया जायेगा, जिसकी गणना लॉग–बुक में अंकित दूरी के आधार पर किया जायेगा।
9. वाहन का एकरारनामा एक वर्ष के लिए होगा। सेवा संतोषनजक होने पर वाहन का अनुबंध विस्तारित किया जा सकता है। असंतोषजनक सेवा होने पर वाहन का अनुबंध बीच मे रद्द किया जा सकता है।
10. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. संबंधित एजेन्सी/वाहन मालिकों द्वारा वाहन उपलब्ध कराने से पूर्व संबंधित वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र मोटर यान निरीक्षक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. वाहन 24 घंटे महाविद्यालय प्रशासन (अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर) के अधीन रहेगा तथा इसका उपयोग अन्यत्र नहीं किया जायेगा। आपूर्ति किये गये वाहन में किसी

Anjali 25/5/2026

25/05/26

प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तत्क्षण आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दूसरी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

13. सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500.00 (पाँच सौ) रू0 प्रति दिन की दर से दण्ड राशि कटौती एजेन्सी/वाहन मालिकों के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।
14. निविदा को http://www.gttcsamastipur.in/ पर देखा जा सकता है।

निविदा की तकनीकी शर्तें :–

1. निविदादाता को माल एवं सेवाकर अधिनियम–2017 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरूप GST से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN (Permanent Account Number) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. एजेन्सी को कालीसूची में दर्ज नहीं होने संबंधित नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशित के बाद का निर्गत हो मूल में देना अनिवार्य है।
4. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (अधिकतम 06 माह के अन्दर का) संलग्न करना है।
5. निविदा में अंकित दर अंक एवं अक्षरों में सभी करों सहित विहित प्रपत्र में पठनीय, स्वच्छ टंकित प्रति करा कर देना होगा।

वरीय व्याख्याता
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्तीपुर।

प्रभारी प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्तीपुर।

ज्ञापांक–518 / समस्तीपुर, दिनांक 25/5/26

प्रतिलिपि – निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रु, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

Anjali 25/5/2026

वरीय व्याख्याता
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्तीपुर।

25/05/26

प्रभारी प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्तीपुर।

12/10/26 25/5/26